उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-सूची

बुधवार, 09 श्रावण, शक संवत् 1946

(31 जुलाई, 2024)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1-प्रश्न। (देखिये नत्थी 'क')

2-प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित विधेयकों को सदन की मेज पर रखेंगे :-

(1) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024

(2) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024

(3) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2024

(4) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024

(5) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024

3-मुख्य मंत्री, गृह (पुलिस) अनुभाग-11 के श्री शशिकान्त, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की अध्यक्षता में गठित एकल सदस्यीय जाँच आयोग की रिपोर्ट को कृत कार्यवाही के विवरण तथा विलम्ब के कारणों सहित जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा-3 की उपधारा (4) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

4-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-24/ग्यारह-2-24-9 (47)-17टी0सी0-252-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(313)-2024, दिनांक 07 फरवरी, 2024

को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

5-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-25/ग्यारह-2-24-9 (47)-17टी0सी0-253-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(314)-2024, दिनांक 27 फरवरी, 2024 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

6-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-207/ग्यारह-2-24-9 (42)-17टी0सी0-69-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश(315)-2024, दिनांक 27 फरवरी, 2024 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

7-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-211/ग्यारह-2-24-9 (47)-17टी0सी0-254-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(316)-2024, दिनांक 07 मार्च, 2024 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

8-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-368/ग्यारह-2-24-9 (47)-17टी0सी0-255-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (317)-2024, दिनांक 06 मई, 2024 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

9-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-01/ग्यारह-2-24-9 (42)-17टी0सी0-68-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश (310)-2024, दिनांक 04 जनवरी, 2024 को उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

10-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-13/ग्यारह-2-24-9 (47)-17टी0सी0-250-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (311)-2024, दिनांक 07 फरवरी, 2024 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

11-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-19/ग्यारह-2-24-9 (47)-17टी0सी0-251-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(312)-2024, दिनांक 07 फरवरी, 2024 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

12-ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा (निजी निवेश) प्रकोष्ठ की उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2024 को विद्युत अधिनियम, 2003 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-36 सन् 2003) की धारा-182 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

13-ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा अनुभाग-1 के उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड के तेइसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 एवं चौबीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष को कम्पनी अधिनियम-2013 की धारा-395(1)(बी) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

14-ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा अनुभाग-1 के कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड, कानपुर के अट्ठरहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 के वार्षिक लेखा को कम्पनी अधिनियम-2013 की धारा-395 (1)(बी) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

15-ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा अनुभाग-1 के दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 को कम्पनी अधिनियम-2013 की धारा-395(1)(बी) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

16-ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा अनुभाग-1 के पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की 17वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2019-20 एवं 18वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2020-21 को कम्पनी अधिनियम-2013 की धारा-395(1)(बी) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

17-ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा अनुभाग-1 के उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की चौबीसवीं वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2022-23 को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-105 की उपधारा (2) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

18-वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

''चूंकि आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'सरकारी प्रतिभूतियाँ अधिनियम, 2006' पारित किया गया है, जो देश के सभी राज्यों, जम्मू-कश्मीर के अलावा और केन्द्र शासित प्रदेशों में दिनांक 30.11.2007 से प्रभावी हो गया है।

और, चूंकि, इसके पूर्व लागू 'लोक ऋण अधिनियम, 1944' जिसके प्रावधानों से लोक ऋण एवं सरकारी प्रतिभूतियों के समव्यवहरण शासित हुए थे, का निरसन किया जाना अनिवार्य हो गया है।

और, चूंकि, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह पाया गया है कि 'लोक ऋण अधिनियम, 1944' के अधीन पूर्व में राज्य सरकारों द्वारा निर्गत कतिपय प्रतिभूतियाँ अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक के खातों में उक्त अधिनियम के अधीन अवशेष हैं।

अतः चूंकि, 'लोक ऋण अधिनियम, 1944' को निरसित करने के लिए 'लोक ऋण अधिनियम, 1944' के संगत प्राविधानों को 'सरकारी प्रतिभूतियाँ अधिनियम, 2006' में सम्मिलित करते हुए संशोधन विधेयक लाया जाना आवश्यक है।

चूंकि, सरकारी प्रतिभूतियाँ अधिनियम, 2006 में निम्नवत् संशोधन अभिप्रेत हैं :-

(1) सरकारी प्रतिभूतियाँ अधिनियम, 2006 में जहाँ कहीं भी जम्मू और कश्मीर प्रदेश का संदर्भ आया है उसका विलोपन तथा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 द्वारा दो संघ शासित क्षेत्रों में पुनर्गठित निवर्तमान जम्मू और कश्मीर प्रदेश की वर्तमान प्रास्थिति को दर्शित करने हेतु अधिनियम के सेक्शन-1 में संशोधन।

(2) सरकारी प्रतिभूतियाँ अधिनियम, 2006 के सेक्शन-2 में प्रावधानित 'सरकारी प्रतिभूति' की परिभाषा को संशोधित करना तथा लोक ऋण अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत निर्गत विशेष प्रतिभूतियों की विशेषताओं को सम्मिलित किये जाने हेतु सरकारी प्रतिभूतियाँ अधिनियम, 2006 के सेक्शन-5 में संशोधन।

(3) 'लोक ऋण अधिनियम, 1944' के निरसन का प्रावधान किए जाने हेतु तथा 'लोक ऋण अधिनियम, 1944' के अन्तर्गत कतिपय कार्यवाहियों/मदों का अनुरक्षण किये जाने हेतु सरकारी प्रतिभूतियाँ अधिनियम, 2006 के सेक्शन-31 एवं 35 में संशोधन।

और, चूंकि, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की राय के अनुसार 'लोक ऋण अधिनियम, 1944' की विषय वस्तु राज्य सूची में भी सम्मिलित है। अतः 'सरकारी प्रतिभूतियाँ अधिनियम 2006' को संशोधित किये जाने तथा 'लोक ऋण अधिनियम, 1944' को निरसित किए जाने हेतु

भारत का संविधान के अनुच्छेद-252 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा संकल्प पारित किया जाना वांछित है।

अतः भारत का संविधान के अनुच्छेद-252 के अनुसरण में यह सदन सरकारी प्रतिभूतियाँ अधिनियम, 2006 को संशोधित किये जाने और 'लोक ऋण अधिनियम, 1944' को निरसित किए जाने पर उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में सहमति प्रकट करता है।

मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी

19-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2022-2023) का सोलहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2005-2006, 1991-1992 व 1996-1997 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 राज्य हथकरघा (हैन्डलूम) निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करेंगे।

मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी

20-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2022-2023) का सत्रहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2008-2009 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करेंगे।

मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी

21-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2022-2023) का अठ्ठारहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1999-2000 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करेंगे।

मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी

22-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2022-2023) का उन्नीसवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2010-2011, 2012-2013 व 2014-2015 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करेंगे।

मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी

23-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2022-2023) का बीसवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2013-2014 व 2015-2016 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करेंगे।

मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी

24-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2022-2023) का इक्कीसवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2010-2011 व 2012-2013 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करेंगे।

25-श्रम एवं सेवायोजन मंत्री, उत्तर प्रदेश में संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए स्पष्ट नीति बनाने व मूलभूत सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में श्री भीमराव अम्बेडकर, पूर्व सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 08 फरवरी, 2024 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

26-श्रम एवं सेवायोजन मंत्री, जनपद-कानपुर में प्रधान सहायक के पद से कार्यालय सहायक कारखाना कानपुर सम्भाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी के देयकों का भुगतान करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रीचन्द शर्मा व श्री अरुण पाठक, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 06 फरवरी, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

27-होमगाड्र्स राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), होमगार्डों की ड्यूटी लगाने के लिए धनराशि मांगने वाले जिला कमाण्डेन्ट, आजमगढ़ का स्थानान्तरण अन्य किसी जनपद में किये जाने और मजिस्ट्रेट की जांच कराकर दोषी पाये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम सूरत राजभर व श्री ओम प्रकाश सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 07 फरवरी, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

28-श्रम एवं सेवायोजन मंत्री, जनपद-शाहजहांपुर में बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 हरी सिंह ढिल्लो व श्री उमेश द्विवेदी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 09 फरवरी, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

29-परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के पडरौना डिपो में वेल्डर ग्रेड-ए के पद पर कार्यरत स्व0 सुभाष प्रसाद के पुत्र श्री रवि कुमार गौतम को मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री शाहनवाज खान, सदस्य, विधान परिषद् व श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, पूर्व सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 10 फरवरी, 2024 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

30-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-गोधिया, विकास खण्ड-बिजुआ, जनपद-लखीमपुर खीरी के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ख')

31-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-सहार, तहसील-विधूना, जनपद-औरैया के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ग')

32-इंजी0 अवनीश कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम बरहुवां मूसेपुर, विकास खण्ड-मल्लावां, जनपद-हरदोई के निवासियों की ओर से सड़क व नाली का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'घ')

33-इंजी0 अवनीश कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-बेहटा खुर्द, विकास खण्ड-राही,

जनपद-रायबरेली के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ङ')

34-डा0 आकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत सेक्टर-10 सी, वृन्दावन योजना-2, रायबरेली रोड, जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से पार्क की मरम्मत व सौन्दर्यीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'च')

35-डा0 बाबू लाल तिवारी, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत सेक्टर-10 सी, वृन्दावन योजना-2, रायबरेली रोड, जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से सड़क व नाली का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'छ')

36-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-पूंजी खेड़ा मजरा महादेवा, विकास खण्ड-बिसवां, जनपद-सीतापुर के निवासियों की ओर से इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ज')

लखनऊ :
बुधवार, 09 श्रावण, शक संवत् 1946
(31 जुलाई, 2024)

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
*1	19-4-2024
*2	19-4-2024
*3	19-4-2024
*4	28-6-2024
*5	19-7-2024
*6	20-7-2024
*7	20-7-2024
*8	20-7-2024
*9	20-7-2024
*10	23-7-2024

अतारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
1	19-4-2024
2	19-4-2024
3	3-5-2024
4	3-5-2024
5	3-5-2024
6	3-5-2047
7	3-5-2024
8	3-5-2024
9	9-5-2024
10	9-5-2024
11	9-5-2024
12	12-6-2024
13	12-6-2024
14	12-6-2024
15	12-6-2024
16	12-6-2024
17	28-6-2024

नत्थी ‘क’

बुधवार, दिनांक 31 जुलाई, सन् 2024 ई0

तारांकित प्रश्न

डा0 मान सिंह यादव 1 — *1-[अन्तरित]

प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता दिलाये जाने के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 2 — श्रम एवं सेवायोजन मंत्री

*2-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के श्रम कार्यालयों में कितने बेरोजगार नवयुवकों का पंजीकरण दिनांक 11 मार्च, 2024 तक है और पिछले 02 वर्ष में उनमें से कितने नवयुवकों को श्रम कार्यालय के माध्यम से सरकारी नौकरी प्राप्त हुई है ?

(ख) क्या प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों को सरकार की तरफ से कोई बेरोजगारी भत्ता भी दिये जाने की कार्य योजना है ?

(ग) यदि हां, तो उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्या कोई कार्य योजना बनवाते हुए प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता दिलाये जाने पर विचार करेंगे ?

(ङ) यदि हां, तो कब तक ?

(च) यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रदेश में शासन द्वारा वर्गीकृत मजदूरों की दैनिक मजदूरी के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 3	*3-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में शासन द्वारा कितने तरह के श्रमिकों का वर्गीकरण किया गया है ? (ख) क्या वर्गीकरण श्रमिकों के लिए क्रमवार दैनिक मजदूरी निश्चित की गयी है ? (ग) उक्त वर्गीकृत मजदूरों की वर्गवार दैनिक मजदूरी कितनी है ? (घ) क्या इसका प्रचार-प्रसार अधिकारियों द्वारा नहीं किया जाता है, इसके क्या कारण हैं ? (ङ) क्या जिला, तहसील और क्षेत्र पंचायत मुख्यालयों पर इसकी होल्डिंग लगाने के साथ-साथ प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करायेंगे ? (च) यदि नहीं, तो क्यों ?	श्रम एवं सेवायोजन मंत्री

सरकार द्वारा नवीन आउटसोर्सिंग कार्मिक नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 4	*4-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि सरकार ने कोई नवीन आउटसोर्सिंग कार्मिक नीति बनाई है ? (ख) यदि हाँ, तो नवीन नीति किस तिथि से लागू की गयी है ? (ग) क्या चतुर्थ श्रेणी लिपिकीय और तृतीय श्रेणी तकनीकी सुपरवाइजरों की भर्तियों की कोई प्रशिक्षण सूची बनायेंगे ? (घ) क्या उपरोक्त नीति के तहत चतुर्थ श्रेणी के पदों की न्यूनतम व अधिकतम शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट रखी गयी है ? (ङ) यदि हाँ, तो उपरोक्त नीति में न्यूनतम एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट रखने के क्या कारण हैं ?	श्रम एवं सेवायोजन मंत्री

जनपद-सहारनपुर के शाकुम्भरी देवी मार्ग पर राज्य परिवहन की बसों की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

श्री शाहनवाज खान 5	*5-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियों में स्थित मां शाकुम्भरी सिद्ध पीठ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केन्द्र है, जहां देशभर से यात्री दर्शन करने के लिए उचित बस सेवा न होने के कारण सड़क एवं रेल मार्ग से आते हैं ? (ख) जनपद-सहारनपुर एवं अन्य जनपदों से शाकुम्भरी देवी के लिए राज्य परिवहन की बस सेवा बहुत कम है ? (ग) क्या सहारनपुर-शाकुम्भरी देवी मार्ग पर राज्य परिवहन की बसों की संख्या या फेरा बढ़वायेंगे ? (घ) यदि हाँ, तो कब तक ?	परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

सरकारी और निजी क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत श्रम कर से प्राप्त धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 6	*6-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि सरकारी और निजी क्षेत्रों में कितनी धनराशि पुल, सड़क, स्कूल, सरकारी कार्यालय एवं निजी भवनों के साथ-साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत श्रम कर के नाम पर दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से 01 मार्च, 2024 तक प्राप्त की गई ? (ख) उक्त श्रम कर से प्राप्त धनराशि में से किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत श्रमिकों एवं उनके बच्चों को कौन-कौन सी सुविधायें प्रदान की गईं तथा उस पर कितना धन व्यय किया गया ? (ग) क्या उक्त की विस्तृत आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?	श्रम एवं सेवायोजन मंत्री

जनपद-वाराणसी के ग्राम पंचायत-गंजारी, वि0ख0-आराजी लाइन, तहसील-राजातालाब में खाद्यान्न वितरण में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव 7	*7-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि ग्राम पंचायत-गंजारी, वि0ख0-आराजी लाइन, तहसील-राजातालाब, जनपद-वाराणसी में खाद्यान्न वितरण में हो रही	मुख्य मंत्री

अनियमितताओं के कारण उप जिला अधिकारी, राजातालाब, वाराणसी से पत्रांक-189/उ0जि0 (रा0ता0)-आपूर्ति/2023, दिनांक 28 जून, 2023 के माध्यम से शिकायतकर्ताओं से अभिलेख/साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र जारी किया गया है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त के सम्बन्ध में संबंधित शिकायतकर्ताओं द्वारा अभिलेख/साक्ष्य कब प्रस्तुत किये गये हैं और अब तक उक्त प्रकरण में क्या कार्यवाही की गयी है और क्या कार्यवाही किया जाना अभी विचाराधीन है ?

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद-सिद्धार्थनगर के कारागार के मुख्य प्राचीर के बाहर-भीतर निरीक्षण पथ पर निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी
8

*8-(क) क्या कारागार मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सिद्धार्थनगर के कारागार के मुख्य प्राचीर के बाहर-भीतर निरीक्षण पथ के निर्माण के नाम पर 87.94 लाख तथा जल निकासी के नाम पर पक्की नाली निर्माण हेतु 42.11 लाख तथा पक्का पाथ-वे के नाम पर 42.59 लाख के साथ-साथ सामूहिक कार पार्किंग के नाम पर 31.28 लाख कुल 02 करोड़ 04 लाख 92 हजार की धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी गयी है ? कारागार मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो अब तक निर्माण कार्य की स्थिति क्या है ?

(ग) क्या जिला कारागार प्रशासन की मिली-भगत से बड़े रूप में भ्रष्टाचार किया जा रहा है ?

(घ) क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर जांच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?

प्रदेश में परिवहन निगम में संविदा पर कार्यरत चालक/कंडक्टर को नियमित सेवा का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव
9

*9-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में परिवहन निगम में संविदा पर कितने बस चालक/कंडक्टर कार्यरत हैं ? परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(ख) उपरोक्त संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को नियमित सेवा का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में सरकार कब तक विचार करेगी ?

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग में सहायक भू-वैज्ञानिक असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट के पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में

श्री शाहनवाज खान 10 — मुख्य मंत्री

*10-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि वर्ष 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग में सहायक भू-वैज्ञानिक पदों पर कोई नियुक्ति हुई है अथवा नहीं ?

(ख) यदि हां, तो कितनी नियुक्ति की गयी, यदि नहीं, तो नियुक्ति न किये जाने के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी निवासी युवक-युवतियों को जिन्होंने आई0आई0टी0, एन0आई0टी0, बी0एच0यू0 तथा ए0एम0यू0 जैसे संस्थानों से भू-विज्ञान में स्नातक, परास्नातक की डिग्री प्राप्त की है, उन्हें 2014 के बाद से ही नौकरी पाने के लिए अन्य राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है ?

(घ) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक स्थाई सहायक भू-वैज्ञानिक असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट का पद सृजित करने का कोई विचार रखती है ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

अतारांकित प्रश्न

श्री आशुतोष सिन्हा 1 — श्रम एवं सेवायोजन मंत्री

1-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि जनपद-रायबरेली के जिला कार्यालय में एक ही पटल पर कितने ऐसे रेगुलर कर्मचारी हैं, जो पिछले 06 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं ?

(ख) क्या ऐसे कार्मिकों को अन्यत्र स्थानान्तरित करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 2 — मुख्य मंत्री

2-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-उन्नाव के निवासियों के अन्त्योदय कार्ड बनाये जाने हेतु आशुतोष

	सिन्हा, सभापति, संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति का पत्र दिनांक 30 अक्टूबर, 2023, जोकि प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? (ख) यदि हां, तो सदस्य के साथ पीड़ितों के संलग्न प्रार्थना-पत्र के मुख्य बिन्दु क्या-क्या थे और उक्त बिन्दुओं के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? (ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	
डा0 मान सिंह यादव 3	3-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनता विहार कालोनी, सलेमपुर पतौरा, मोहान रोड, लखनऊ के निवासियों की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुए राशन कार्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में आशुतोष सिन्हा, सभापति, संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति, उ0प्र0 विधान परिषद् का पत्र दिनांक 26 फरवरी, 2024, जोकि प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र के साथ ग्रामीणों के संलग्न प्रार्थना-पत्र के मुख्य बिन्दु क्या-क्या थे और उक्त बिन्दुओं के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? (ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 4	4-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के सिधौली-बिसवां मार्ग पर परिवहन व्यवस्था समुचित न होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है एवं डग्गामार साधनों का उपयोग करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के समाधान हेतु लखनऊ से सिधौली होते हुए बिसवां तक इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री पवन कुमार सिंह 5	5-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद से अयोध्या धाम तक कोई सीधी बस न होने से श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है ?	परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

	(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त समस्या के निदान हेतु बस का संचालन करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	
डा0 मान सिंह यादव 6	6-[मा0 सदस्य द्वारा प्रश्न को वापस लिया गया]	
डा0 मान सिंह यादव 7	7-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि दिनांक 01 जनवरी, 2023 से दिनांक 08 अप्रैल, 2024 तक जनपद-कौशाम्बी में कितने खनिकर्म विभाग के पट्टे किन-किन स्थानों पर स्वीकृत हैं ? (ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री
श्री आशुतोष सिन्हा 8	8-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 08 अप्रैल, 2024 तक वाराणसी, मिर्जापुर व आजमगढ़ मण्डल के अन्तर्गत नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के क्या-क्या प्रयास किये गये हैं और कितने नवयुवकों को रोजगार प्राप्त हुआ है ? (ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	श्रम एवं सेवायोजन मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 9	9-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-रायबरेली के तहसील-ऊँचाहार, विकास खण्ड-जगतपुर, ग्राम पंचायत-धर्मदासपुर में दिनांक 01 जनवरी, 2022 से 30 मार्च, 2024 तक कितने अन्त्योदय कार्ड/बी0पी0एल0 राशन कार्ड बनाये जाने के आवेदन प्राप्त हुये हैं ? (ख) उक्त आवेदनों में से कितने आवेदन ऐसे हैं, जो विकास खण्ड स्तर पर एवं तहसील स्तर पर लम्बित हैं तथा कितने आवेदन स्वीकार तथा कितने अस्वीकार हुये हैं ? (ग) क्या उक्त आवेदकों के नाम, पतों सहित सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री
श्री आशुतोष सिन्हा 10	10-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि वाराणसी, मिर्जापुर व आजमगढ़ मण्डल के अन्तर्गत दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 15 अप्रैल, 2024 तक कितने नये राशन कार्ड बनाये जाने के आनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं और उनमें से कितने नये राशन कार्ड बना दिये गये हैं ?	मुख्य मंत्री

	(ख) क्या उक्त मण्डलों में उक्त विभाग में कार्यरत किसी कार्मिक की भी उक्त अवधि के दौरान कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? (ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	
डा0 मान सिंह यादव 11	11-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि ग्राम सलेमपुर पतौरा, ब्लाक काकोरी, जनपद लखनऊ के निवासियों को कोटे के अन्तर्गत मिलने वाले राशन कार्ड दिलाये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16 अप्रैल, 2024, जोकि विशेष सचिव, मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? (ख) यदि हां, तो उक्त पत्र के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और क्या पत्र में इंगित सभी व्यक्तियों को उक्त का लाभ प्राप्त होने लगा है ? (ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	मुख्य मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 12	12-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में कुल कितने श्रम एवं सेवायोजन के कार्यालय कार्यरत हैं ? (ख) उक्त कार्यालयों में कुल कितने सरकारी कार्मिक कार्यरत हैं ? (ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	श्रम एवं सेवायोजन मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 13	13-(क) क्या होमगाड्र्स मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में होमगार्डों की कुल संख्या कितनी है ? (ख) उपरोक्त होमगार्डों को नियमित कार्मिक की भांति वेतन, भत्ते दिये जाने के सम्बन्ध में कब तक कार्य योजना बनायेंगे ? (ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	होमगाड्र्स राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
डा0 मान सिंह यादव 14	14-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में परिवहन निगम की कितनी बसें ऐसी चल रही हैं, जो कालबाधित हो चुकी हैं ? (ख) उक्त खटारा बसों को सरकार द्वारा कब तक बदलकर उनके स्थान पर नई बसें परिवहन निगम को उपलब्ध कराई जायेंगी ?	परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव
15

15-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में पिछले वर्ष खनिकर्म विभाग से सरकार को कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है ?

मुख्य मंत्री

(ख) खनिकर्म कार्य से राजस्व बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में क्या सरकार की कोई कार्य योजना है ?

(ग) यदि हाँ, तो क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव
16

16-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि उप नगरीय डिपो लखनऊ की बस चारबाग, लखनऊ से उन्नाव होते हुए तहसील मुख्यालय बीघापुर-तकिया पाटन तक संचालित की जाती है ?

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त बस का संचालन स्वीकृत मार्ग से न कराकर दूसरे मार्ग मौरावां होकर कराया जाता रहा है ?

(ग) क्या दिनांक 28 मई, 2024 से बस का संचालन बन्द है, जिस कारण क्षेत्रीय जनता/राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ?

(घ) क्या जनहित में स्वीकृत मार्ग से उक्त बस का संचालन सुनिश्चित करायेंगे ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह
17

17-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि संविदा कर्मचारी भर्ती नियमावली कब बनाई गई है ?

मुख्य मंत्री

(ख) क्या उक्त नियमावली सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) संविदा नीति के अन्तर्गत सरकार के विभिन्न विभागों में भर्तियां किस तिथि से प्रारम्भ की गयी हैं ?

(घ) क्या कर्मचारियों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए संविदा कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर विचार करेंगे ?

नत्थी 'ख'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषयः- जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत विकास खण्ड-बिजुआ के गोधिया से ग्राम पंचायत-पहाड़ापुर रूद्रपुर तक सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम पंचायत-पहाड़ापुर रूद्रपुर, विकास खण्ड-बिजुआ के गोधिया, जनपद लखीमपुर खीरी के मूल निवासी हैं। हम विकास खण्ड-बिजुआ के अन्तर्गत गोधिया से ग्राम पंचायत-पहाड़ापुर रूद्रपुर तक सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने हेतु पिछले कई वर्षों से प्रयासरत हैं। किन्तु इस ओर कोई सफलता नहीं मिल सकी। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ग'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषयः-जनपद औरैया में सहार, बिधूना से ग्राम पंचायत-कुर्सी बिधूना तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम प्रार्थीगण बंसई, पोस्ट कुर्सी, तहसील बिधूना, जनपद-औरैया के निवासी हैं। ग्राम पंचायत सहार, बिधूना से ग्राम कुर्सी बिधूना तक मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गांव के निवासियों द्वारा उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु स्थानीय प्रशासन से कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। हम सभी ग्रामवासी आपके उक्त कार्य कराने के सदैव आभारी रहेंगे। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'घ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषयः-जनपद-हरदोई के विकास खण्ड-मल्लावां के ग्राम पंचायत-बरहुवां मूसेपुर में लगभग 300 मीटर आर0सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम प्रार्थीगण जनपद हरदोई के विकास खण्ड-मल्लावां के ग्राम पंचायत-बरहुवां मूसेपुर के मूल निवासी हैं। लालता कश्यप के आवास से पुष्पेन्द्र (मास्टर) के आवास तक का मार्ग बहुत ही जर्जर

एवं दयनीय स्थिति में है, बरसात के मौसम में जलभराव के कारण स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ङ'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,
माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषयः-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड-राही के ग्राम पंचायत-बेहटा खुर्द में लगभग 500 मीटर सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम प्रार्थीगण जनपद रायबरेली के विकास खण्ड-राही के ग्राम पंचायत-बेहटा खुर्द के मूल निवासी हैं। हमारे गांव से होते हुये बेहटा खुर्द से रामनाथ का पुरवा को स्व0 रामनरेश पासी के आवास से रामजी यादव के आवास तक लगभग 500 मीटर सड़क जर्जर अवस्था में हो गया है, बरसात के दिनों में जल भराव हो जाने के कारण स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'च'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषयः-जनपद-लखनऊ के आवास विकास परिषद् की वृन्दावन कालोनी के अन्तर्गत हेतराम प्रजापति पुत्र श्री सरयू प्रसाद, मकान नं0-10सी/428 (नगर जोन-8) के सामने पार्क की मरम्मत तथा सुन्दरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम प्रार्थीगण जनपद लखनऊ के आवास विकास परिषद् की वृन्दावन कालोनी, सेक्टर-10 सी (नगर जोन-8) के निवासी हैं। हमारे कालोनी में श्री हेतराम प्रजापति पुत्र श्री सरयू प्रसाद, मकान नं0-10सी/428 के सामने बने पार्क की हालत बहुत खराब होने के कारण वहाँ के व्यक्तियों व बच्चों को पार्क में खेलने व सुबह-शाम टहलने में काफी असुविधा होती है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि वृन्दावन कालोनी में श्री हेतराम प्रजापति पुत्र श्री सरयू प्रसाद, मकान नं0-10सी/428 (नगर जोन-8) के सामने बने पार्क की मरम्मत तथा सुन्दरीकरण का कार्य कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
07 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'छ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषयः-जनपद-लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के वृन्दावन योजना-2 के जोन-8, सेक्टर-10सी के मकान नं0-2सी/390 से मेन रोड तक लगभग-150 मी0 तक सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के अन्तर्गत वृन्दावन योजना-2, जोन-8, सेक्टर-10 सी स्थित मकान नं0-10सी/390 से मेन रोड तक (लम्बाई लगभग-150 मी0)

की सड़क ढाई-तीन वर्ष से काफी खराब है तथा उसमें जगह-जगह गड्ढे भी हो गये हैं तथा बरसात के दिनों में जगह-जगह पानी भी भर जाता है, जिससे दुर्घटनायें भी हो जाती हैं। उक्त सड़क का निर्माण आवास विकास परिषद् द्वारा किया गया था तब से उक्त सड़क की न तो कभी मरम्मत ही की गयी है और न ही पुनः बनवायी गयी है। इस कार्य हेतु जनपद स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि उक्त कार्य का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
06 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ज'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषयः- जनपद सीतापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-बिसवां के ग्राम पंचायत-पूंजी खेड़ा के मजरा महादेवा में पेंटेड रोड से श्री प्रकाश के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम पंचायत-पूंजी खेड़ा, मजरा महादेवा, विकास खण्ड बिसवां, जनपद सीतापुर के निवासी हैं पेंटेड रोड से श्री प्रकाश के घर तक रास्ता लगभग 220 मीटर रोड खराब है, हमारी ग्राम पंचायत-पहाड़ापुर पिछले कई वर्षों से प्रयासरत है। किन्तु इस ओर कोई सफलता नहीं मिल सकी। मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त स्थिति में है। उक्त मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण वहां के निवासियों को बरसात के दिनों में मार्ग पर चलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गांव के निवासियों द्वारा उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु स्थानीय प्रशासन से कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। हम सभी ग्रामवासी आपके सदैव आभारी रहेंगे। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा मुद्रित।